

Order sheet [Contd]

II-156

C. J.

case No ...26/15 M. J. C.

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>05-02-2016</p>	<p>शासन द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल उपस्थित । अनावेदक जमानतदार सरनाम सिंह सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित । जमानतदार की ओर से प्रस्तुत नोटिस का जवाब पेश किया, जो अभिलेख पर लिया गया । अनावेदक जमानतदार सरनाम उपस्थित है, उसका अनावेदक साक्ष्य के रूप में कथन लेखबद्ध किया गया । जमानतदार ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना व्यक्त किया, अतः अनावेदक जमानतदार की साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर समाप्त किया जाता है । इस संबंध में उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये । प्रकरण मध्यांतर पश्चात पेश हो ।</p> <p>(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, भिण्ड, म.प्र.</p> <p>पुनश्च— मध्यांतर पश्चात आवेदक शासन द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल उपस्थित । अनावेदक स्वयं उपस्थित । लंबित डकैती प्रकरण क्रमांक—12/2015 निकाला गया । मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि अनावेदक जमानतदार के द्वारा थाना मालनपुर के अपराध क्र.—132/2008 धारा—394 भा. दं.वि. व धारा— 11, 13 डकैती अधिनियम के अपराध में आरोपी रामरतन को आदेशदिनांक—16/04/2009 के पालन में 40000 रुपये की जमानत प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रखने की शर्तों के साथ दी गयी थी, किन्तु अनावेदक जमानतदार आरोपी रामरतन को नियमित रूप से प्रकरण में उपस्थित रखने में असफल रहा है और दिनांक—28/05/2015 को अकारण अनुपस्थित हो जाने के कारण जमानत मुचलके निरस्त किए जाकर धारा—446 द. प्र.सं. के तहत नोटिस जारी कर अनावेदक जमानतदार के विरुद्ध प्रथक से एम.जे.सी. पंजीबद्ध करने और जमानत राशि वसूली का नोटिस जारी करने हेतु कार्यवाही की गयी, जिसके अपालन में</p>	

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>अनावेदक जमानतदार के द्वारा दिनांक-10/08/2015 को आरोपी को न्यायालय में समर्पित कराया गया है, जिसे न्यायिक निरोध में लेकर उपजेल गोहद भेजा गया था और उक्त प्रकरण आरोपी रामरतन के संबंध में निराकृत भी हो चुका है । किन्तु आरोपी के द्वारा जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया गया है और अनावेदक जमानतदार भी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रखने में असफल रहा है, जबकि उसका उत्तरदायित्व था कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिस आरोपी की उसके द्वारा जमानत दी गयी है, वह प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होता रहा है अथवा नहीं और जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ऐसे में अनावेदक जमानतदार क्षमा किए जाने योग्य नहीं है । किन्तु उसके द्वारा आरोपी को न्यायालय में समर्पित कर दिया गया है, जिसे देखते हुए अनावेदक जमानतदार के प्रति कुछ उदारता का दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित व न्याय संगत होगा ।</p> <p>अनावेदक जमानतदार के द्वारा दिये गये कथन में भी क्षमा याचना की है, अतः प्रकरण की परिस्थितियों और जमानतदार की स्थिति को देखते हुए उसके द्वारा दी गयी 40000 रुपये की जमानत राशि में से 1000 रुपये { एक हजार रुपये} राजसात किए जाते हैं, शेष राशि माफ की जाती है और आदेशित किया जाता है कि राजसात राशि अनावेदक जमानतदार अबिलंब विधिवत जमा करे । अन्यथा उसे 15 दिवस का सिविल कारावास भुगताये जाने हेतु जेल वारण्ट तैयार कर जेल भेजा जावे ।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज किया जाकर नस्तीबद्ध कर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।</p> <p style="text-align: right;">(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, भिण्ड, म.प्र.</p>	

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
	<p>सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)